अध्याय-III: वित्तीय प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

नवम्बर 2004 में, पीएमएसएसवाई के चरण-। के लिए मंत्रालय ने छः नए एम्स की अनुमानित पूंजीगत लागत ₹1,707 करोड़ (प्रत्येक एम्स के लिए ₹284.50 करोड़) ₹780 करोड़[1] की कुल अनुमानित लागत पर सात जीएमसीआई के उन्नयन के साथ ₹1,780.86 करोड़ (2005-13) की आवर्ती लागत का अनुमान लगाया था। योजना की कुल अनुमानित लागत ₹4,267 करोड़ थी। तत्पश्चात्, मार्च 2006 में सरकार ने प्रत्येक नए एम्स के लिए ₹332 करोड़ की संशोधित पूंजीगत लागत तथा चार और जीएमसीआई उन्नयन किए जाने की संस्वीकृति दी थी। तदनुसार, चरण-। की कुल लागत ₹3,776 करोड़ (पूंजीगत लागत ₹3067.15 तथा आवर्ती लागत ₹708.84 करोड़) संस्वीकृत की गई थी। मार्च 2010 में, 2016-17 तक के लिए 13 जीएमसीआई की पूंजीगत लागत का ₹1,290 करोड़ और ₹3,097.62 करोड़ (2016-17 तक) की आवर्ती लागत के साथ छः नए एम्स के लिए प्रत्येक की पूंजीगत लागत को आगे संशोधित किया गया तथा; चरण-। पर कुल परिव्यय ₹9,307.62 करोड़ अनुमोदित था। योजना के चरण-।। के मामले में, केवल एक नए एम्स हेतु पूंजीगत लागत तथा आवर्ती लागत क्रमश: ₹823 करोड़ और ₹515.75 करोड़ थी (2016-17 तक) शामिल किया। 6 जीएमसीआई के उन्नयन के लिए केन्द्रीय शेयर के साथ ₹750 करोड़ (प्रत्येक जीएमसीआई के लिए ₹125 करोड़), चरण-।। में कुल परिव्यय ₹2,088.75 करोड था। 39 जीएमसीआई के उन्नयन वाले योजना का चरण-।।। में ₹4,680 करोड़ की कुल पूंजीगत लागत पर संस्वीकृत किया गया था। अतः योजना के प्रथम तीन चरणों की कुल संस्वीकृत लागत ₹16,076.37 करोड़ थी जिसमें से ₹12,463 की पूंजीगत लागत थीं।

---

[1] छः जीएमसीआई के लिए प्रति जीएमसीआई 120 करोड़ एवं एक जीएमसीआई के लिए 60 करोड़

3.2 बजट अनुमान और निधियों का निर्गम

2004-17 की अवधि हेतु नए एम्स को स्थापित करने तथा जीएमसीआई के उन्नयन के लिए बजट अनुमान और मंत्रालय द्वारा निर्गम निधियां नीचे **तालिका 3.1** में दी गई है:

तालिका 3.1: वर्षवार बजट अनुमान और निर्गम

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	निर्गम निधि	बचत	बचत %
2004 - 05	60.00	6.16	53.84	89.73
2005 - 06	250.00	2.52	247.48	98.99
2006 - 07	75.00	6.27	68.73	91.64
2007 - 08	150.00	87.49	62.51	41.67
2008 - 09	490.00	484.00	6.00	1.22
2009 - 10	1,447.92	474.48	973.44	67.23
2010 - 11	750.00	653.84	96.16	12.82
2011 - 12	1,616.57	877.10	739.47	45.74
2012 - 13	1,544.21	989.06	555.15	35.95
2013 - 14	1,975.00	1,273.24	701.76	35.53
2014 - 15	1,956.00	822.03	1133.97	57.97
2015 - 16	2,206.00	1,577.83	628.17	28.48
2016 - 17	2450.00	1,953.16	496.84	20.28
कुल	**14,970.70**	**9,207.18**	**5,763.52**	**38.49**

(स्रोत: मंत्रालय)

2004-08 से प्रारंभिक अवधि में बचत 42 से 99 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से सीएफए का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब तथा योजना चरण पर अन्य विलंबों के कारण प्रतिवेदन के पैरा 2.3 में चर्चा की गई है। 2009-2017 के दौरान बचत 13 से 67 प्रतिशत के बीच थी निविदाओं में विलंब, पूंजीगत निर्माण कार्य की धीमी प्रगति, उपकरणों की खरीद की धीमी गति, एम्स के लिए स्थलों को अंतिम रूप न दिये जाने एवं पदों के न भरने के भी कारण थे।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (फरवरी 2018) कि बचत के परिणामस्वरूप निर्माण के लिए लक्षित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका तथा बताया गया कि बचत के संबंध में प्रवृत्ति 2011-12 से उलट गई थी। यद्यपि, तथ्य यह है

कि बजट अनुमानों के संबंध में बचत सभी वर्षों में महत्वपूर्ण रही और यह सभी चरणों में विलंब का सूचक थी।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि जारी की गई निधियों को वास्तविक व्यय माना जाता है योजना पर वास्तविक व्यय के आंकड़े प्रदान नहीं कर सका। यद्यपि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि ₹2,098.22 करोड़ की राशि की अव्ययित निधियां मार्च 2017[2] तक नए एम्स एवं नामित अभिकरणों के पास उपलब्ध थी। अव्ययित शेषों का मौजूदगी यह दर्शाती है कि वित्तीय प्रगति को जारी की गयी निधियों को योजना पर वास्तविक व्यय के रूप में माने जाने के कारण अधिक बताया जा रहा था। यह भी पाया गया था कि मंत्रालय नई एम्स/ अभिकरणों द्वारा इनके द्वारा जारी निर्गमों के प्रति व्यय का संकलन या मॉनीटरिंग नहीं कर रहा था। इस प्रकार, नए एम्स तथा अभिकरणों के पास अव्ययित निधियों के संचय के लिए वास्तविक व्यय की निगरानी और मॉनीटरिंग करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

3.3 चरण-I में नए एम्स की पूंजीगत लागत में वृद्धि

चरण-I हेतु प्रत्येक नए एम्स के लिए पूंजीगत लागत को शुरू में मार्च 2006 में ₹332 करोड़ रूपये की मंज़ूरी दी गई थी। हालांकि मार्च 2010 में, मंत्रालय ने छः नए एम्स[3] के लिए ₹820 करोड़ प्रति नए एम्स की दर पर पूंजीगत लागत हेतु संशोधित अनुमोदन प्राप्त किया था। यह पूंजीगत लागतों में 145 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता था। सिविल कार्यों से संबंधित लागत में वृद्धि के मामले में अतिरिक्त लागत का 46.4 प्रतिशत सितम्बर 2003 से अक्तूबर 2008 के बीच लागत सूचकांक में वृद्धि के कारण हुआ था। शेष क्षेत्र में वृद्धि, अतिरिक्त वस्तुओं[4] के लिए प्रावधान और कार्य अनुबंध कर के समावेश के कारण हुआ था। इसके अतिरिक्त, उपकरण की लागत 91.3 प्रतिशत बढ़ गई। पूंजीगत लागतों में वृद्धि का कारण 2003 में इसकी घोषणा करने के पश्चात् परियोजना की प्रगति में विलंब तथा एम्स जैसे संस्थान को स्थापित करने के लिए योजना बनाने और आवश्यकताओं के आकलन में कमियां थीं।

---

[2] छः नए एम्स एवं चरण I से III तक जीएमसीआई के संबंध में।

[3] कुल मूल्य परिवर्धित ₹2,928 करोड़ (₹820 करोड़ - ₹332 करोड़ X 6 एम्स)

[4] ग्रीन बिल्डिंग मानदंडों पर मद शामिल हैं नवम्बर 2004 में ईएफसी स्तर पर मद शामिल नहीं हैं।

3.4 नए एम्स द्वारा निधियों का उपयोग

2011-17 के दौरान छः[5] नए एम्स को उपलब्ध करवाए गए ₹3,285.03 करोड़ (सहायता अनुदान) की कुल निधि में से मार्च 2017 तक ₹1,267.41 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ते हुए ₹2,017.62 करोड़ का उपयोग किया था। जैसा **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: 2011-17 के दौरान उपलब्ध निधियां एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

नए एम्स का नाम	कुल उपलब्ध निधियां	व्यय	अप्रयुक्त	अप्रयुक्त निधि की प्रतिशतता
भोपाल	533.10	258.09	275.01	51.59
भुवनेश्वर	505.69	375.20	130.49	25.80
जोधपुर	535.50	373.19	162.31	30.31
पटना	496.95	338.03	158.92	31.98
रायपुर	597.79	360.06	237.73	39.77
ऋषिकेश	616.00	313.05	302.95	49.18
कुल	**3,285.03**	**2,017.62**	**1,267.41**	

(स्रोत: संबंधित संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा)

अव्ययित निधियों का मुख्य कारण निर्माण कार्य की धीमी प्रगति तथा मंत्रालय को निधि की आवश्यकता प्रस्तुत करते समय उपलब्ध निधियों में कारक के कारण संस्थानों की ओर से विफलता तथा रिक्तियों को भरने में देरी थी।

मंत्रालय ने पदों को न भरने तथा सातवें वेतन आयोग स्केलों के कार्यान्वयन में देरी को अव्ययित शेषों का कारण बताया।

[5] निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयनित सात एम्स में से जीआईए छः नए एम्स को जारी किया गया था जबकि एम्स-रायबरेली को कोई जीआईए जारी नहीं किया गया था क्योंकि वह मार्च 2017 तक कार्यात्मक नहीं था।

3.5 नामांकित अभिकरणों द्वारा ₹8,308 करोड़ की निधियों का उपयोग न होना

मंत्रालय ने जीएमसीआई से संबंधित सिविल कार्यों के लिए तथा नए एम्स के आवासीय परिसरों तथा चिकित्सा उपकरणों के प्रापण के लिए नामांकित अभिकरणों अर्थात् मैसर्स एचएलएल, एचआईटीईएस तथा एचएससीसी को निधियां जारी की। ये एजेंसियां इन निधियों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर सकी तथा मार्च 2017 तक पर्याप्त अव्ययित निधियां पड़ी हुई थीं। सिविल कार्यों के लिए मंत्रालय/संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी ₹393.53 करोड़ की राशि तथा उपकरण के प्रापण के लिए ₹437.28 करोड़ इन अभिकरणों के पास अव्ययित पड़े थे जैसा **चार्ट 3.1** तथा **3.2** में दर्शाया गया है :

चार्ट-3.1: नामांकित अभिकरणों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष (सिविल कार्य)

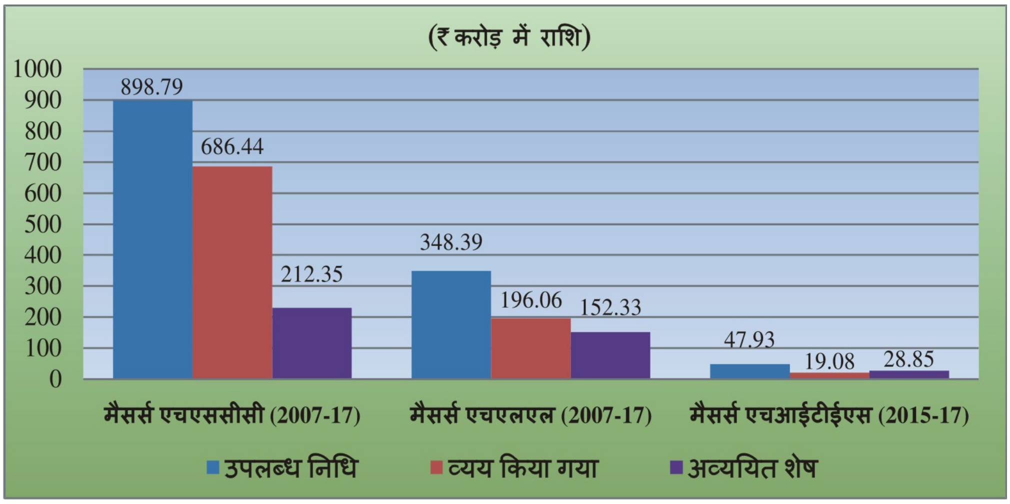

(स्रोत: मैसर्स एचएससीसी, मैसर्स एचएलएल एवं मैसर्स एचआईटीईएस)

चार्ट-3.2: नामांकित अभिकरणों के पास अव्ययित शेष (उपकरण का प्रापण)

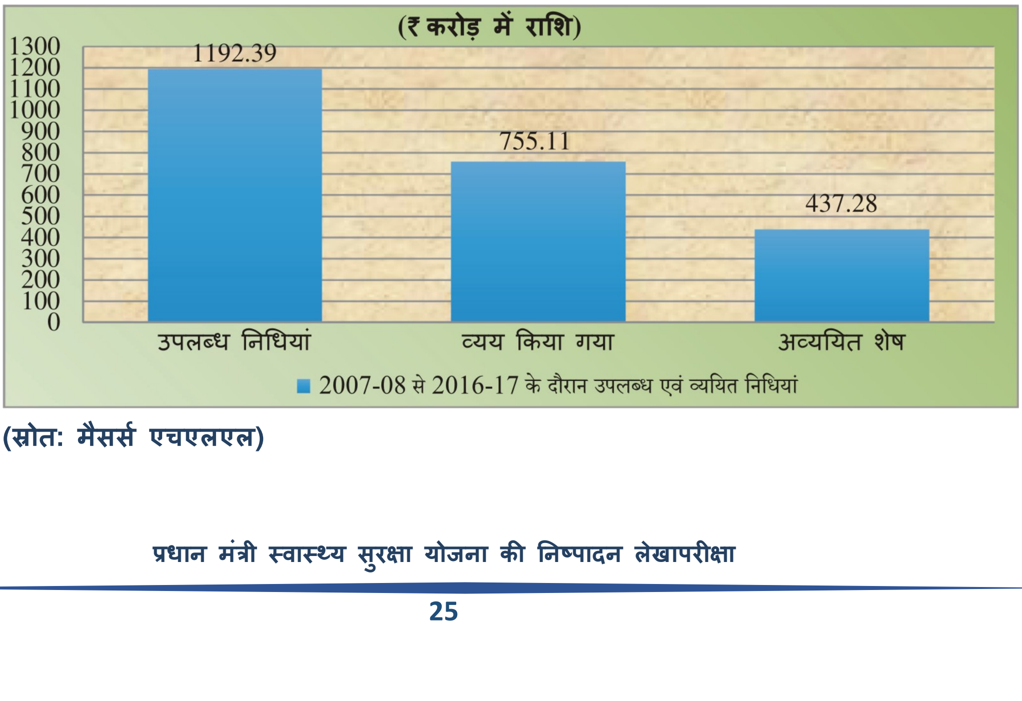

(स्रोत: मैसर्स एचएलएल)

लेखापरीक्षा ने पाया कि निधियों के अव्ययित रहने के कारण बिलों का अंतिम रूप न दिया जाना, उपकरण के प्रापण हेतु प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब तथा अनुबंधित श्रमशक्ति का प्रावधान न होना था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि सिविल कार्यों के लिए निविदा लागत के 10 प्रतिशत के निधियों का शेष बनाए रखने के लिए अनुबंध आवश्यक था। इसने आगे बताया कि नामित अभिकरणों द्वारा लेखा के अंतिम निपटान के दौरान राशियां ब्याज सहित वापस की जाएगी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समझौता केवल 10 प्रतिशत की प्रारंभिक जमा के भुगतान के लिए प्रावधान किया गया था तथा इसे पूरे अनुबंध अवधि के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, कारणों जैसे प्रापण प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाने में विलंब तथा आवश्यक श्रमशक्ति के प्रावधान के साथ समकालीन की कमी ने प्रबंधन तथा समन्वय में कमी की ओर इशारा किया जिसके परिणामस्वरूप ₹830.81 करोड़ की कुल निधियां संस्थानों तथा पीएसयू के पास अव्ययित पड़ी रही।

3.6 ₹63.85 करोड़ की राशि का जीएमसीआई के पास व्यर्थ पड़े रहना

पांच जीएमसीआई में **(जेएनएमसी-अलीगढ़, एनआईएमएस-हैदराबाद, आरआईएमएस-रांची आरपीजीएमसी-टांडा** तथा **आईएमएस-वाराणसी)** सिविल कार्यों तथा उपकरणों के प्रापण हेतु प्राप्त, ₹63.85 करोड़ राशि की निधियां, दो से पांच वर्षों की अवधियों तक व्यर्थ पड़ी रही। विवरण **अनुबंध 3.1** में दिये गये हैं। निधियों का व्यर्थ पड़े रहने ने निधियों की उपयोगिता का उचित एवं सामयिक मॉनीटर करने में मंत्रालय की विफलता की ओर संकेत किया।

3.7 अनुबंध समझौते में ब्याज की धारा को शामिल न करना

मंत्रालय ने सामान्यतः सिविल कार्य के लिए जमाओं/अग्रिमों तथा चरण-I के अंतर्गत जीएमसीआई के उन्नयन हेतु उपकरण के प्रापण तथा पूर्व-नैदानिक उपकरण के प्रावधान हेतु अनुबंध में शेषों से प्राप्ति निधियों अग्रिमों पर अर्जित ब्याज को जोड़ने हेतु मैसर्स एचएलएल के साथ अनुबंध में एक प्रावधान शामिल किया। यद्यपि, इस आशय की एक धारा को छः नए एम्स हेतु नैदानिक उपकरण के प्रापण हेतु ऐजेंसी के साथ अगस्त 2013 में किये गये समझौते में मंत्रालय द्वारा शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, उपकरण के प्रापण हेतु कंपनी को अग्रिम राशियों पर मैसर्स एचएलएल द्वारा

31 मार्च 2017 को ब्याज के रूप में अर्जित ₹30.45 करोड़ की राशि कंपनी द्वारा प्राप्त जमा/निकाले गये अग्रिम को जोड़ा नहीं गया था।

मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2018) कि मैसर्स एचएलएल परियोजना के लेखाओं के अंतिम रूप दिये जाने के बाद ब्याज सहित अव्ययित परियोजना निधियों को वापस करने में सहमत हुआ।

3.8 ₹26.71 करोड़ की राशि की निधियों का विपथन

एमओयू का धारा 10 बताता है कि जीएमसीआई/राज्य सरकार किसी अन्य उद्देश्य हेतु अनुदानों का विपथन नहीं करेगा तथा अव्ययित अनुदानों को मंत्रालय को वापस किया जायेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि चार जीएमसीआई (**बीजेएमसी-अहमदाबाद**, **बीएमसीआरआई-बैंगलौर**, **एनआईएमएस-हैदराबाद** तथा **आरआईएमएस-रांची**) ने अन्य उद्देश्यों जैसा **अनुबंध 3.2** में वर्णित है**,** के लिए ₹26.71 करोड़ राशि की निधियां विपथित कीं। उदाहरणस्वरूप, प्रापण के लिए निधियों को सिविल कार्यों की लागत वृद्धि को पूरा करने तथा गैस बहुविध प्रणाली का संस्थापन, व्यापक अनुरक्षण अनुबंध (सीएमसी) तथा उपभोग्य मदों के प्रापण में विपथित किया गया था। इसी तरह से, कम्प्यूटरीकरण हेतु निधियों को केन्द्रीयकृत एयर कंडीशनिंग और लघु सिविल कार्यों के लिए विपथित किया गया था।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि मामले जीएमसीआई से संबंधित हैं जो संस्थानों और राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में थे। तथ्य यह है कि निधियों का इस तरह का विपथन एमओयू के प्रावधानों के विपरीत था तथा मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए इसकी जिम्मेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है कि जारी किए गए निधियों को अभिप्रेत उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।

3.9 ₹234.98 करोड़ की राशि के बकाया उपयोग प्रमाण-पत्र

मंत्रालय और जीएमसीआई के बीच हुए एमओयू के धाराओं 12 और 13 के अनुसार, इस बात की संतुष्टि कर लेने पर कि लाभार्थी संस्थान ने व्यय और उपयोग प्रमाण पत्र की आवश्यक विवरणी प्रस्तुत की है, मंत्रालय द्वारा अग्रिम/अनुवर्ती निर्गम जारी किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि सात जीएमसीआई में ₹234.98 करोड़ की राशि के उपयोग प्रमाणपत्र मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किए गए थे जैसा **अनुबंध 3.3** में दिया गया है। उचित उपयोग

प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में, ऐसा कोई आश्वासन नहीं था कि निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया था जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था तथा विपथन या पार्क नहीं किया गया था। कुछ मामलों में, सिविल कार्यों और उपकरणों की खरीद के लिए आवश्यक शेष निधि मंत्रालय द्वारा यूसी के अभाव में जारी नहीं की गई थी जिसके चलते प्रापण रूका रहा।

मंत्रालय ने सूचित किया (फरवरी 2018) कि इस मामले को संबंधित राज्य सरकार/संस्थानों के साथ उठाया जाएगा।

3.10 अग्रिमों के समायोजन में विलम्ब

नामांकित अभिकरणों अर्थात् (मैसर्स एचएलएल और मैसर्स एचएससीसी) और मंत्रालय के बीच हस्ताक्षर हुए एमओयू के खंड 10.4 के अनुसार, परामर्शदाता /ठेकेदार को 30 दिनों की अवधि के आधार पर समायोजन बिल प्रस्तुत करने होंगे। मंत्रालय ने नए एम्स की स्थापना तथा जीएमसीआई के उन्नयन हेतु पीएमएसएसवाई के चरण-। और चरण-।। में विभिन्न नामांकित अभिकरणों को निधियों का निर्गम किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि संबंधित नामांकित अभिकरणों द्वारा सौंपा गया कार्य पूरा कर लिया गया था, कुछ मामलों में मार्च 2017 तक ₹254.15 करोड़ की राशि के अग्रिमों का निपटान नहीं हुआ था जबकि कार्य की समाप्ति के पश्चात् सात वर्ष तक की अवधि बीत चुकी थी। जैसा **तालिका 3.3** में दिया गया है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि वह गतिविधियों के औपचारिक बंद होने के लिए कदम उठा रहा था।

तालिका 3.3 नामांकित अभिकरणों को अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	चरण	नए एम्स/जीएमसीआई का नाम	नामांकित एजेंसी का नाम (मैसर्स)	ब्याज सहित जारी निधियां	मार्च 2017 तक अव्ययित शेष	कार्य की आरम्भ की तिथि	कार्य की समाप्ति की तिथि
1.	II	एम्स-रायपुर	एचएससीसी	32.91	2.28	जून 2008	फरवरी 2011
2.	I	आरपीजीएमसी-टांडा	एचएससीसी	45.94	6.51	नवम्बर 2011	फरवरी 2014
3.	II	एनआईएमएस-हैदराबाद	एचएससीसी	93.53	22.81	मार्च 2008	जुलाई 2010
4.	II	जेएनएमसी-अलीगढ़	एचएलएल	81.77	13.75	नवम्बर 2011	मार्च 2016
			कुल	**254.15**	**45.35**		

इसके अतिरिक्त, **बीएमआरसीआई-बैंगलोर** तथा **जीएमकेएमसी-सलेम** में, यद्यपि सिविल कार्य अक्तूबर 2010 तथा जुलाई 2010 में क्रमशः समाप्त हो चुका था, नामांकित अभिकरण (मैसर्स एचएलएल) ने तीन वर्षों से अधिक के बीत जाने के बाद, अव्ययित राशि अर्जित ब्याज के साथ वापस किया जैसा **तालिका-3.4** में दिया गया है:

तालिका- 3.4: नामांकित अभिकरणों को अग्रिमों के समायोजन में विलंब

(₹ करोड़ में)

जीएमसीआई का नाम	उपलब्ध निधियां	किया गया व्यय	शेष निधि	कार्य के समाप्ति की तिथि	अंतिम समायोजन की तिथि	रखी गयी निधि की अवधि
बीएमसीआईआईआई-बैंगलोर	54.35	53.50	0.85	जुलाई 2010	सितम्बर 2013	तीन वर्ष एवं दो माह
जीएमकेएमसी-सलेम	87.72	83.24	4.48	अक्तूबर 2010	जून 2014	तीन वर्ष एवं आठ माह
कुल	**142.07**	**136.74**	**5.33**			

3.11 ₹14.74 करोड़ राशि का परिहार्य/अधिक भुगतान

सात नए एम्स **(भोपाल**, **भुवनेश्वर**, **जोधपुर**, **पटना**, **रायपुर**, **ऋषिके**श तथा **राय बरेली)** तथा दो जीएमसीआई (बीजेएमसी-अहमदाबाद तथा आईएमएस-वाराणसी) द्वारा ₹14.74 करोड़ तक का परिहार्य/अधिक भुगतान किया गया था, इसमें ₹12.47 करोड़ का परिहार्य या अधिक भुगतान बिजली की आवश्यकताओं के खराब मूल्यांकन के कारण, अधिक मांग प्रभार के कारण, सीमाशुल्क शुल्क छूट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने में विफल रहने के कारण सीमा शुल्क का भुगतान, सेवा कर का अनावश्यक भुगतान और परामर्श शुल्क का अधिक भुगतान हुआ। इसके अलावा, मंत्रालय के विशिष्ट निर्देशों कि ऐसा भुगतान तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए के बावजूद**,** नए एम्स ने "लर्निंग रिसोर्स अलाउंस" के कारण अनियमित रूप से संकाय सदस्यों और अधिकारियों को ₹2.27 करोड़ का भुगतान किया। विवरण **अनुबंध 3.4** में दर्शाया गया है।

मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2018) कि संस्थान ने उठाए गए मुद्दों पर विशेषज्ञ की राय मांगी थी।

3.12 ₹8.84 करोड़ की राशि के करों की कम कटौती/कटौती न किया जाना

₹8.84 करोड़ रुपए की वैधानिक देय जैसे कि रॉयल्टी, स्रोत पर कर कटौती तथा मूल्य वर्धित कर को पांच नए एम्स (**भोपाल**, **जोधपुर**, **रायपुर**, **ऋषिकेश** तथा **रायबरेली**) या तो कटौती नहीं की गयी थी या कम कटौती की गयी थी जैसा **अनुबंध 3.5** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

पीएमएसएसवाई के पहले तीन चरणों की कुल अनुमोदित लागत ₹16,076.37 करोड़ थी, जिसमें से ₹12,463 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च हुआ था। नये एम्स की स्थापना और जीएमसीआई के उन्नयन के लिए योजना के अंतर्गत 2004-05 से 2016-17 तक के दौरान मंत्रालय ने ₹9,207.18 करोड़ रुपये जारी किए थे। यद्यपि, निधि का एक महत्वपूर्ण भाग अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब के कारण, नियोजन चरण में विलंब, कार्यों के निष्पादन में विलंब, उपकरणों की खरीद की धीमी गति और पदों को न भरने के कारण बहुत कम उपयोग में रहा। वास्तविक उपयोगिता की प्रभावी मॉनीटरिंग और निगरानी के अभाव में, मार्च 2017 तक नामांकित अभिकरणों के पास ₹830.81 करोड़ अव्ययित रहा तथा ₹26.71 करोड़ की निधि का विपथन हुआ। अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन में ₹234.98 करोड़ के बकाया उपयोग प्रमाणपत्र तथा ₹259.48 करोड़ के गैर-निपटान भी इसका प्रमाण है जो निधि के विपथन तथा व्यर्थ होने का जोखिम बढ़ाता है।